भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 266
गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई संपर्क का विस्तार

***266. श्री जिया उर रहमान:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों सहित देश के अल्प-सेवित जिलों में उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए नए विमानपत्तन अथवा हवाई-पट्टी विकास प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या सरकार की देश में मौजूदा टियर-2 और टियर-3 विमानपत्तनों पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने और सुरक्षा मानकों में सुधार करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (ग)**:** विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई संपर्क का विस्तार" के संबंध में श्री जिया उर रहमान द्वारा पूछे गए दिनांक 18.12.2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 266 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): क्षेत्रीय संपर्क योजना – उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के तहत दिनांक 30.11.2025 तक देशभर में 15 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित 93 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 651 आरसीएस मार्गों को प्रचालनरत किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य में 12 हवाईअड्डों को जोड़ने वाले कुल 87 मार्गों को प्रचालनरत किया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सहित देशभर के 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए संशोधित उड़ान योजना आरंभ करने की घोषणा की है। यह योजना वर्तमान में अनुमोदन के चरण में है।

ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के अनुसार यदि राज्य सरकार सहित कोई हवाईअड्डा विकासकर्ता, हवाईअड्डे का विकास करना चाहते हैं तो उन्हें उपयुक्त स्थान की पहचान करना, व्यवहार्यता अध्ययन करना और 'साइट क्लीयरेंस' के लिए केंद्रीय सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसके पश्चात 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने देशभर में 24 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्रदान किया है, जिनमें से 13 हवाईअड्डे प्रचालनरत किए जा चुके हैं।

(ग): हवाईअड्डों पर अवसंरचना सुविधाओं/यात्री सुख-साधनों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है, जिसे प्रचालनिक आवश्यकताओं, यातायात, मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता आदि पर निर्भर रहते हुए, राज्य सरकार के समन्वय के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) अथवा हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा पूरा किया जाता है।

इसके अलावा, डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) नियमित निगरानी, स्पॉट चेक और संपरीक्षा सहित एक मजबूत निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह प्रणाली निरीक्षण के लिए एक वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी) का अनुपालन करती है और यह सुनिश्चित करती है कि संपरीक्षा निष्कर्षों का निपटान सत्यापित सुधारात्मक कार्रवाइयों के साथ किया जाए।

*****